राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. स.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अभिभाषक का नाम
1.	4825/2022 रामकुमार यादव	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राज. सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर, राज. 2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।	19.09.2022	श्री राकेश कुमार सैनी
2.	4826/2022 संतोष कुमार यादव			
3.	4827/2022 सीताराम गुर्जर			
4.	4828/2022 संतोष कुमार गुप्ता			
5.	4829/2022 जितेन्द्र कुमार रेपसवाल			

आदेश की दिनांक : 04.11.2022

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त समस्त अपीलों में अपीलार्थीगण वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थीगण का कथन है कि वरिष्ठ अध्यापक के पद के चयन हेतु वर्ष 2013 में विज्ञप्ति जारी की गई। जिसकी चयन प्रक्रिया में अपीलार्थीगण ने भाग लिया था एवं अपीलार्थीगण का दिसंबर 2014 में चयन हो गया था। परंतु अपीलार्थीगण को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई। उक्त चयन प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित रही थी । वर्ष 2016 में भी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की गई।, जिसमें भी अपीलार्थीण ने भाग लिया था और अपीलार्थीगण का चयन हुआ था एवं अपीलार्थीगण को नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थीगण को 2 वर्ष की सेवा के पश्चात नियमित किया गया। वर्ष 2013 की चयन प्रक्रिया में विभाग का निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय से होने के पश्चात अपीलार्थीगण के उक्त चयन प्रक्रिया में अंक बढाये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थीगण का नाम मेरिट में आया था और उक्त प्रक्रिया में अपीलार्थीगण को चयनित किया गया। पूर्व की चयन प्रक्रिया के अनुसार अपीलार्थीगण को नई पोस्टिंग में जोईन किया। अपीलार्थीगण वरिष्ठ अध्यापक

के पद पर 2018 से कार्यरत है और नियमित भी हो चुके है, परंतु अपीलार्थी को पुनः 2 वर्ष के परिवीक्षा अवधि पर रखा गया और नोशनल लाभ भी प्रदान नहीं किया गया। अपीलार्थी ने पूर्व में चयन होने के फलस्वरूप नोशनल लाभ प्राप्त करने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत विभाग के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 38/2022 मदन लाल गोदारा व अन्य राजस्थान राज्य में समान स्थिति के अध्यापकों को लाभ दिया है। अपीलार्थीगण भी उक्त रिट याचिका में पक्षकार थे, परंतु अपीलार्थीगण ने रिट याचिका इस आधार पर वापस ली है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर को अपीलार्थीगण के संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं था एवं अपीलार्थीगण ने सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता चाही थी, जो प्रदान की गई। जिसके पश्चात यह अपील प्रस्तुत की गई हे। प्रस्तुत अपील में भी माननीय उच्च न्यायालय के समान आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी का मामला भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित उक्त मामले के समान तथ्यों पर आधारित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है और ना ही कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थीगण के संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित रिट याचिका संख्या 38/2022 में पारित आदेश दिनांक 30.03.2022 के समान कार्यवाही करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जाये।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है

कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

6. मूल आदेश पेज संख्या 4825/2022 राम कुमार यादव बनाम राजस्थान राज्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त अपीलों में इस आदेश की प्रति संलग्न की जावे।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)